संक्षिप्त नीति प्रपत्र

राजस्थान में अल्पसंख्यकों की स्थिति, योजनाएं एवं बजट आवंटन : एक अध्ययन

अगस्त 2021

बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट, जयपुर
(Budget Analysis and Research Centre Trust, Jaipur)
ईमेल : barctrust@gmail.com वेबसाइट : www.barctrust.org

राजस्थान में अल्पसंख्यकों की स्थिति, योजनाएं एवं बजट आवंटनः एक अध्ययन

भारत संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गयी है। धार्मिक आधार पर बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बात की जाए तो हिन्दू धर्म बहुसंख्यक वर्ग है, और अन्य सभी धर्मों के लोग अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 2(सी) के अनुसार मुस्लिम, सिक्ख, ईसाईं, बौद्ध एवं पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी के लगभग 80 प्रतिशत लोग हिन्दू धर्म से हैं, 14.2 प्रतिशत लोग मुस्लिम, और 2.3 प्रतिशत, 1.72 प्रतिशत, 0.7 प्रतिशत एवं 0.37 प्रतिशत लोग क्रमशः ईसाई, सिक्ख, बौद्ध एवं जैन धर्म से हैं।

राजस्थान में अल्पसंख्यकों की स्थिति :

2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या लगभग 11.41 प्रतिशत अर्थात् 78.18 लाख है। राज्य में मुस्लिम 62.15 लाख (9.07 प्रतिशत) हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 6.14 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 17.91 प्रतिशत मुस्लिम निवास करते हैं।

मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का स्तर : 2001 व 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों में साक्षरता दर समस्त वर्गों में सबसे कम है और महिलाओं में तो शिक्षा की स्थिति काफी चिंताजनक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर 68.5 प्रतिशत है, जबकि अन्य वर्गों में 74 प्रतिशत है। राजस्थान मुस्लिम समुदाय में 2001 में साक्षरता दर 56.6 प्रतिशत थी, जबकि तब राज्य की औसत साक्षरता 60.04 प्रतिशत थी। 2001 में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 40 प्रतिशत थी, जबकि उस समय राज्य में महिला साक्षरता दर 43.9 प्रतिशत थी। राज्य के 2011 के जनगणना अनुसार साक्षरता दर के आंकड़े धार्मिक समूहवार उपलब्ध नहीं हैं।

तालिका–1 : मुस्लिम समुदाय में साक्षरता एवं लिंगानुपात की स्थिति (आंकड़े प्रतिशत में)

साक्षरता दर/ लिंग अनुपात	2001				2011			
	भारत		राजस्थान		भारत		राजस्थान	
	समस्त वर्ग	मुस्लिम	समस्त वर्ग	मुस्लिम	समस्त वर्ग	मुस्लिम	समस्त वर्ग	मुस्लिम
साक्षरता दर (सम्पूर्ण)	64.83	59.1	60.4	56.6	74.04	68.5	66.11	62.68
साक्षरता दर (पुरुष)	75.26	67.6	75.7	71.4	82.14	74.7	79.19	75.38
साक्षरता दर (महिला)	53.67	50.1	43.9	40.8	65.56	62	52.12	49.35
लिंग अनुपात (सम्पूर्ण)	933	936	921	929	943	951		

स्रोतः जनगणना–2001 व 2011

बॉक्स – 1 मुस्लिमों में लिंग अनुपात

राष्ट्रीय तथा राज्य के औसत लिंगानुपात की तुलना में मुस्लिम समुदय में लिंगानुपात काफी बेहतर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर सभी वर्गों मे लिंगानुपात 943 है जबकि मुस्लिमों में यह 951 है। राजस्थान में 2001 के आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम समुदाय में लिंगानुपात 929 था जबकि राज्य भर में यह औसत में 921 था।

स्कूल के बाहर बच्चे :– आईएमआरबी (IMRB) द्वारा वर्ष 2014 में किये गए एक अधययन[1] के अनुसार देश में 6 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे 2.97 प्रतिशत है। जबकि इसी आयु वर्ग के मुस्लिम बच्चों में इसका 4.43 प्रतिशत है यह प्रतिशत अनुसूचित जाति–SC (3.24 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति–ST (4.20 प्रतिशत) समुदाय के बच्चों से अधिक है। इसी प्रकार राजस्थान में स्कूल से बाहर रहने वाले कुल बच्चों का प्रतिशत 5.02 प्रतिशत है, जबकि राज्य में मुस्लिम समुदाय में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों का प्रतिशत 6.85 प्रतिशत (2014) है जो सभी सामाजिक समूहों से अधिक है।

बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे :– मुस्लिम समुदाय में पढ़ाई बीच में छोड़ देना भी गंभीर समस्या है। तालिका–2 में दिए हुए आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लड़के और लड़कियों दोनों ही बड़े स्तर पर पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। 2013–14 से 2014–15 के बीच सेकेंडरी स्तर पर कुल ड्रॉपआउट 23.66 प्रतिशत से बढ़कर 24.12 प्रतिशत हो गया है।

तालिका–2 : राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय में ड्रॉपआउट दर (प्रतिशत में)

	2013–14			2014–15		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
सैकेंडरी लेवल	24.06	23.27	23.66	24.71	23.58	24.12
हायर सैकेंडरी लेवल	6.40	4.00	5.19	8.55	6.29	7.40

स्रोतः श्रीमती किरण खेर द्वारा लोकसभा में दिनांक 27/12/2017 को पूछे गये प्रश्न संख्या–1472 के जबाब में श्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े[2]

तालिका–3 : राजस्थान में विभिन्न स्कूल स्तर पर सामाजिक समूहवार नामांकन (प्रतिशत में)

सामाजिक समूह	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
अनुसूचित जाति	18	17.43	15.71	13.61
अनुसूचित जनजाति	10.76	8..69	7.48	6.1
अन्य पिछड़ा वर्ग	40.2	40.89	40.77	37.28
शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय EBMC (मुस्लिम)	10.08	8.96	7.84	6.55
अन्य	20.96	24.03	28.19	36.46

स्रोतः आठवां अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2018–19

ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है कि जैसे–जैसे ऊपरी कक्षाओं में जाते हैं विद्यालय शिक्षा नामांकन में वंचित समूहों के बच्चों की भागीदारी कम होती जाती है। अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण 2018–19[3] के अनुसार प्राथमिक स्तर के कुल नामांकन में मुस्लिम समुदाय के बच्चों की भागीदारी 10.08 प्रतिशत रही है, जबकि उच्च माध्यमिक स्तर पर मुस्लिम समुदाय के बच्चों की भागीदारी घटकर 6.55 प्रतिशत रह गयी है।

उच्च शिक्षा तक कम पहुँच – इससे जाहिर है कि उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष व महिलाओं का नामांकन दूसरे वर्गों की अपेक्षा काफी कम है। नीचे दी तालिका में उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों की भागीदारी दिखाई गई है। स्पष्ट है कि राज्य में उच्च शिक्षा तक मुस्लिम छात्र–छात्राओं की पहुँच काफी कम है। वर्ष

[1] https://www.education.gov.in/en/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/National-Survey-Estimation-School-Children-Draft-Report.pdf
[2] http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/13/AU1472.pdf
[3] https://ncert.nic.in/pdf/programmes/AISES/8th_AISES_Concise_Report.pdf

2019–20 में राज्य में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन में मुस्लिम छात्रों की भागीदारी वर्ष 2018–19 में 2.13 प्रतिशत थी जो वर्ष 2019–20 में घटकर मात्र 2 प्रतिशत रह गई है (तालिका–4)।

तालिका–4 : राजस्थान में उच्च शिक्षा में मुस्लिम समुदाय का नामांकन 2018–19

वर्ष	समस्त वर्ग			मुस्लिम समुदाय			कुल नामांकन में मुस्लिम समुदाय का प्रतिशत		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2015–16	992153	969307	1761460	19657	13301	32958	1.98	1.37	1.87
2016–17	994972	813479	1808451	19885	13909	33794	2.00	1.71	1.87
2017–18	1054511	881693	1936204	22280	16276	38556	2.11	1.85	1.99
2018–19	1082466	1001947	2084413	26100	18258	44358	2.41	1.82	2.13
2019–20	1151186	1055331	2206517	25128	19055	44183	2.18	1.81	2

स्रोतः उच्चतर शिक्षा संबधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण, 2019–20[4]

कोविड और अल्पसंख्यक समुदाय

कोविड–19 महामारी ने सभी समुदायों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कोरोना को रोकने के लिये लगाये पूर्ण और आंशिक लॉकडाउन ने लोगों के रोज़गार और आय को बूरी तरह प्रभावति किया है। कई अध्ययनों ने दिखाया कि इनका सबसे अधिक प्रभाव अंसंगठित क्षेत्रों में कार्यरत मज़दूरों और स्व–रोज़गार में लगे लोगों पर पड़ा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 68 वें दौर (2011–12)[5] के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी धर्मो में स्व–रोज़गार में लगे लोगों का प्रतिशत समान (लगभग 49 प्रतिशत) था। परन्तु शहरी क्षेत्रों में स्व–रोजगार करने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक (50 प्रतिशत) मुसलमानों में था। और साथ ही शहरों में अनियमित दैनिक मजदूरी (कैजुअल लेबर) करने वालों का प्रतिशत भी मुस्लिम कामगारों में सर्वाधिक (15 प्रतिशत) था। जाहिर है इन स्वरोज़गार से जुड़े मुस्लिम कामगारों और दैनिक मज़दूरी करने वाले मुस्लिम मज़दूरों को पूर्ण और आंशिक लॉकडाउन से रोजगार और आय का बहुत नुकसान हुआ।

राजस्थान में सजग पहल समूह द्वारा किये गये एक अध्ययन[6] के अनुसार पहले लॉकडाउन के बाद हुए आय के नुकसान का प्रतिशत मुसलमानों में सर्वाधिक (82 प्रतिशत) था, जबकि सभी समूहों के लिये यह 56 प्रतिशत था। यही नहीं इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि लॉकडाउन के दौरान सरकार से आर्थिक लाभ और अन्य सामाजिक सुरक्षा के लाभ पाने में मुस्लिम समुदाय अन्य समुदायों से पीछे रहे हैं।

तालिका–5 : 2020 में राजस्थान में कोरोना राहत के लाभार्थी (प्रतिशत में)

लाभ	सभी	मुस्लिम
आर्थिक लाभ	65	40
एलपीजी सिलेंडर	38	18
अतिरिक्त आनाज (एन एस एफ ए लाभार्थी)	74	58

स्रोतः राजस्थान के कमज़ोर वर्गों पर कोविड–19 के प्रभावों का अध्ययन, सजग पहल (2020)

उदाहरण के लिये एनएफएसए (NFSA) लाभार्थियों को अतिरिक्त आनाज या एलपीजी सिलेण्डर और जनधन खाते में 1500 रूपए जैसे लाभ लेने में मुस्लिम समुदाय के लोग पीछे रहे हैं। 'स्टेट ऑफ इन्डयाज़ पुअर' शीर्षक से अलग–अलग समुदायों में लॉकडाउन के प्रभावों के अध्ययन में भी पाया गया कि 53 मुस्लिम बस्तियों

[4] https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/aishe_eng.pdf
[5] http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/nss_report_568_19feb16.pdf
[6] https://barctrust.org/sources/Report%20of%20Corona%20Relief%202020%20December.pdf

में जून 2020 में पेंशन के लाभ के मामलों में मुस्लिम समुदाय पीछे रहा है। हांलाकि जनधन खाते में 1500 रूपए पुरे आंशिक रूप से अध्ययन में शामिल 90 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम बस्तियों में मिले थे।[7]

राजस्थान में अल्पसंख्यक विभाग के कार्यक्रम एवं बजट :

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया गया। इस विभाग का गठन अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, उनकी समस्याओं और शिकायतों के समाधान हेतु किया गया। अल्पसंख्यक मामलात विभाग का बजट आवंटन मुख्य शीर्ष 2202, 2225, 2250, 4225, 6225 के अंतर्गत होता है। नीचे दी गई सारणी में विगत पांच वर्षों में विभाग के लिए आवंटित बजट का विवरण दिया गया है।

तालिका–6 : राज्य में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का बजट (करोड़ रू. में)

वर्ष		कुल राज्य बजट	अल्पसंख्यक विभाग का बजट	राज्य बजट में प्रतिशत
2017–18	बजट अनुमान	166,753.9	166.49	0.10
	संशोधित अनुमान	175,615.12	154.37	0.09
	वास्तविक व्यय	164,472.47	129.02	0.08
2018–19	बजट अनुमान	197,274.66	180.60	0.09
	संशोधित अनुमान	197,258.89	164.98	0.08
	वास्तविक व्यय	189,439.25	144.85	0.08
2019–20	बजट अनुमान	218,222.05	165.58	0.08
	संशोधित अनुमान	210,106.95	152.03	0.07
	वास्तविक व्यय	198,769.06	124.96	0.06
2020–21	बजट अनुमान	225,731.50	164.83	0.07
	संशोधित अनुमान	248,062.62	152.03	0.06
2021–22	बजट अनुमान	250,747.33	172.93	0.07

स्रोतः बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार,

वर्ष 2020–21 के बजट में अल्पसंख्यक विभाग के लिए आवंटित बजट 164.83 करोड़ रूपये था, जो राज्य के कुल बजट का मात्र 0.09 प्रतिशत था लेकिन वर्तमान वर्ष 2021–22 में अल्पसंख्यक विभाग का बजट 172.93 करोड़ रूपये रखा गया है, जो कि राज्य बजट का 0.07 प्रतिशत है। इन आंकड़ों से कहा जा सकता है कि वर्तमान वर्ष में राज्य के कुल बजट में अल्पसंख्यक विभाग के बजट की हिस्सेदारी काफी कम रही है। पिछले पांच वर्षों में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का कुल बजट, राज्य के कुल बजट के 0.1 प्रतिशत से कम हो रहा है।

बजट का पूरा उपयोग नहीं होनाः राज्य में अल्पसंख्यक विभाग का बजट बहुत कम है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी समस्या विभाग को उपलब्ध बजट का पूरा उपयोग नहीं होना भी है। श्री बदरुद्दीन अजमल द्वारा लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के जबाब के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान राज्य को अल्पसंख्यक कल्याण के लिये दिये गये कुल बजट 97.21 करोड़ रूपये का केवल 47 प्रतिशत ही उपयोग ही सका था।

उपरोक्त सारणी में भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2017–18 के बाद हर वर्ष विभाग के बजट का वास्तविक व्यय बजट अनुमान से कम रहा है।

[7] https://d3971b67-4c49-4f6d-aa7c-63f2a5b3cac5.filesusr.com/ugd/8a8dda_a2b8faa98b9a4a00b5692bc6af1e7941.pdf

तालिका– 7 : अल्पसंख्यक मामलात विभाग में विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों की स्थिति

विभाग	सृजित पद	रिक्त पद	रिक्त पदों का प्रतिशत
निदेशालय स्तर	66	19	28.79
जिला स्तर (समस्त 33 जिले)	313	97	31
मदरसा बोर्ड	36	22	61.11
मदरसों में शिक्षा सहयोगी	8619	2967	34.42
कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी	3000	2688	89.6
कुल पद	12034	5793	48.14

स्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, 2020–21

विभाग द्वारा उपलब्ध बजट का उपयोग नहीं करने का एक बडा कारण इस विभाग में स्वीकृत पदों का रिक्त होना भी है।तालिका–7 में दिए गये आंकड़े बताते हैं कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग में करीब आधे (48.14 प्रतिशत) पद रिक्त हैं।

बॉक्स–2 ***वर्ष 2021–22 के बजट में अल्पसंख्यकों के लिए मुख्य घोषणाएं :–***

- राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अध्ययन की सुविधा हेतु 8 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवनों का निर्माण, 3 राजकीय आवासीय विद्यालयों की स्थापना, 3 अल्पसंख्यक बालिका आवसीय विद्यालय एवं 3 बालक छात्रावास खोलने की घोषणा की गई।
- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 17 उप स्वास्थ्य केन्दों के भवनों के निर्माण की घोषणा की गई।
- दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास हेतु प्रत्येक वर्ग के लिए 100 करोड़ रुपये के विकास कोष की घोषणा की गई।

अल्पसंख्यकों के लिए मुख्य योजनाएं एवं उनका बजट :

राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिणिक स्तर को ऊँचा करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बंधित योजनाओं के बजट का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। और साथ ही कुछ महत्तवपूर्ण योजनाओं के बजट एवं उनके क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गयी है।

तालिका–8 : राजस्थान में अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनायें तथा उनका बजट (करोड़ रु. में)

योजनाएं	बजट अनुमान 2019–20	वास्तविक व्यय 2019–20	बजट अनुमान 2020–21	संशोधित अनुमान 2020–21	बजट अनुमान 2021–22
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	61.24	37.89	64.03	54.96	58.71
मैरिट कम मीन्स छात्रवृति योजना	0.05	0.04	0.09	0.12	0.31
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति	0.17	0.10	0.15	0.21	0.30
मदरसा स्कूल	65.35	62.81	62.74	64.80	68.30
मदरसा बोर्ड	1.97	1.96	2.03	1.81	2.05
अनुप्रति योजना	0.30	0.17	0.25	0.05	0.25
अल्पसंख्यक बालक छात्रावासों का संचालन	2.28	1.70	2.76	1.01	3.01
अल्पसंख्यक कन्या छात्रावासों का संचालन	1.72	0.89	2.24	1.82	3.36
कौशल विकास प्रशिक्षण योजना	2	1.50	2	0.80	2

स्रोतः बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम

प्रधानमंत्री पंद्रह सूत्री कार्यक्रम अन्य मंत्रालयों की कई योजनाओं को कवर करते हुए एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ से वंचित लोगों तक पहुँचे। प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम में निम्न विषय शामिल हैं।

- **शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना–** (1) एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता। (2) विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना। (3) उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन (4) मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण (5) अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति (6) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठानों के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना को उन्नत करना।
- **आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी–** (7) गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना। (8) तकनिकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन (9) आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धि ऋण योजना (10) राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती।
- **अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर की दशा में सुधार करना–** (11) ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी (12) अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन बस्तियों/क्षेत्रों की स्थिति में सुधार।
- **सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण–** (13) सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम (14) साम्प्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन (15) सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास।

प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के 24 कार्यक्रम शामिल हैं। इन 24 कार्यक्रमों का 15 प्रतिशत बजट अल्पसंख्यकों के लिए होना चाहिए और 15 प्रतिशत लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिये। अल्पसंख्यक मामलात विभाग इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। निगरानी का ढांचा केन्द्रीय मंत्रालय स्तर, राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तथा जिलों में भी समिति बनी हुई है तथा इस कार्यक्रम की निगरानी बैठकें होती रहती है लेकिन विभाग के वार्षिक रिपोर्ट में दिये गए आंकड़ों को देखें तो 15 प्रतिशत लक्ष्य कम ही योजनाओं में पूरा हो पाता **है। जैसे कि :–**

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन 2020–21 के अनुसार राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों में शैक्षिक सत्र 2020–21 में कुल नामांकन 83,49,701 है जिसमें अल्पसंख्यक छात्रों का नामांकन 5,65,664 है जो कुल नामांकन का 6.77 प्रतिशत हैं।

वर्ष 2020–21 में 229 राजकीय ITI कॉलेज में 24812 छात्र /छात्राओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसमें से केवल 1804 (7.27 प्रतिशत) अल्पसंख्यक छात्र/छात्राएं है।

वर्ष	कुल पॉलिटेक्निक कॉलेज	पॉलिटेक्निक कॉलेज में कुल विद्यार्थी	पॉलिटेक्निक कॉलेज में कुल अल्पसंख्यक विद्यार्थी	कुल विद्यार्थियों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों प्रतिशत
2018–19	43	12950	705	5.44
2019–20	44	12349	743	6.02
2020–21	44	–		

स्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, 2020–21

इसी प्रकार वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार अन्य योजनाओं में निम्न प्रगति हुई :

- राज्य में कौशल विकास के लिए चलायी जा रही सभी योजनाओं में अल्संख्यक समुदाय के बालक बालिकाओं की हिस्सेदारी 5.33 प्रतिशत से 10.66 प्रतिशत के बीच रही है।
- वर्ष 2020–21 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों हेतु 25988 को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके विरुद्ध अल्पसंख्यकों हेतु 16399 की स्वीकृति जारी की गयी है, जबकि वास्तविक अल्पसंख्यक लाभार्थियों की संख्या केवल 1112 रही है।
- राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए संचालित व्यावसायिक ऋण योजना में भी इस वर्ष 665 लोगों का लक्ष्य निर्धारित किया गया जबकि योजना का लाभ केवल 32 लोगों को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार शिक्षा ऋण योजना में 166 छात्र छात्राओं का लक्ष्य रखा गया लेकिन 18 छात्र छात्रा ही योजना का लाभ प्राप्त कर सके।

नोटः अल्पसंख्यक श्रेणी के बालक–बालिकाओं के लिए चल रही पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना के लिए आवंटित बजट के आंकडें उपलब्ध नहीं है। क्योंकि वर्ष 2015–16 से इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि केन्द्र सरकार द्वारा सीधे ही लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जा रही है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम/बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP) : बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरु की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह एक क्षेत्र विकास पहल है, जिसे सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना का सृजन करने तथा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों की विकास सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को वर्ष 2008–09 में देश के 90 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों (एम सी डी) में आरम्भ किया गया था।

दिनांक 1, अप्रैल 2018 से बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" कर दिया गया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में क्षेत्रीय विस्तार कर 16 जिलों के 02 जिला मुख्यालयों, 15 ब्लॉकों तथा 17 कस्बों को शामिल किया गया है।

इस वर्ष (2021–22) इस योजना के लिये 58.71 करोड़ रूपए आवंटित हुए हैं, जो पिछले वर्ष (2020–21) के बजट अनुमान से लगभग 5.32 करोड़ रूपए कम हैं। जैसा कि तालिका 8 में देखा जा सकता है, वर्ष 2019–20 में इस योजना के लिये आवंटित बजट का लगभग 62 प्रतिशत ही खर्च हो पाया था। वर्ष 2020–21 में भी संशोधित अनुमानों में इस योजना के बजट में लगभग 10 करोड़ रूपए की कटौती की गई है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन 2020–21 के अनुसार वर्ष 2013–14 से 2020–21 तक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल स्वीकृत 2556 कार्यों में से 1784 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 526 कार्य निर्माणाधीन है। शेष 246 अप्रारम्भ कार्यों में से विभिन्न कारणों से 225 कार्य मंत्रालय को निरस्तगी हेतु भेजे गये हैं। 21 कार्य अभी प्रारम्भ होना बाकी है।

मदरसा बोर्ड तथा मदरसा स्कूल :– वर्तमान वर्ष में मदरसा बोर्ड एवं मदरसा स्कूल का बजट 67.31 करोड़ रु है। जिसमे मदरसा स्कूल का बजट 65.35 करोड़ रूपए है तथा मदरसा बोर्ड का बजट 1.96 करोड़ रु है। मदरसा बोर्ड तथा मदरसा स्कूल द्वारा मुख्यतः तीन योजना चलायी जा रही है जो निम्न है:–

1. **मदरसों में अध्यापन कार्य करवाने हेतु संविदा पर शिक्षा सहयोगियों का चयन कर उपलब्ध करवाना :–** बोर्ड द्वारा मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हेतु शिक्षा सहयोगियों का चयन कर मदरसों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनका मानदेय भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाता है बोर्ड के अधीन पंजीकृत मदरसों में शिक्षा सहयोगियों के स्वीकृत पद एवं कार्यरत शिक्षा सहयोगियों की सूचना निम्नानुसार है :–

   तालिका– 9 : मदरसों में अध्यापन कार्य हेतु उर्दू शिक्षा सहयोगियों एवं कंप्यूटर शिक्षा सहयोगियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिक्त पदों का प्रतिशत
1.	उर्दू शिक्षा सहयोगी	8619	5652	2967	34.42
2.	कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी	3000	312	2688	89.6

   स्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन 2020–21, अल्पसंख्यक मामलात विभाग

2. **मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना :–** राज्य सरकार की नीति के अनुरूप मदरसों के आधारभूत संरचना के विकास में जन–सहयोग के साथ कार्य करने के उद्देश्य से वर्ष 2017–18 के बजट में मदरसा जन

सहभागिता योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत राशि जन सहयोग से प्राप्त होने पर 60 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2020–21 में इस योजनान्तर्गत कुल 6 मदरसों को लाभान्वित किया गया है।

3. **मुख्यमंत्री आदर्श मदरसा योजना :–**राज्य सरकार की नीति के अनुरूप मदरसों को आदर्श मदरसा योजनान्तर्गत 500 मदरसों को मुख्यमंत्री बजट घोषणा संख्या – 113 (वर्ष 2018–19) में लाभ दिया है। उक्त मदरसों में 260 मदरसों का गठित कमेठी द्वारा चयन किया गया है।

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम : राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम की स्थापना राजस्थान सरकार व भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यकों के गरीब व्यक्तियों को जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 81000 रु व शहरी क्षेत्रों में 103000 रु से कम हो, को स्वरोजगार एवं कार्यक्षमता उन्नयन हेतु रियायती ब्याज दर (6 प्रतिशत व्यवसायिक ऋण एवं 3 प्रतिशत शिक्षा ऋण हेतु) पर स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत व्यवसायिक ऋण एवं शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराने हेतु की गयी है।

तालिका– 10 : राज्य में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को स्व–रोजगार और आय सृजित करने के लिए रियायती दरों पर ऋण (राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	2016–17		2017–18		2018–19		2019–20		2020–21*	
	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
राजस्थान	18.02	2284	14.52	1475	5.41	466	4.60	365	1.43	50

स्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, 2020–21, * दिसम्बर, 2020–21

तालिका–9 में दिए गये आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 2016–17 से 2020–21 तक कुल 4640 लाभार्थियों को लाभ पहुंचा है जिन पर इस समयावधि में मात्र 43.98 करोड़ रुपयों की सहायता प्रदान की गयी है। वर्ष 2020–21 में जब कोविड महामारी के चलते लोग अपना रोजगार खो रहे थे तब निगम से मिलने वाले ऋण के लाभार्थी काफी कम हुए हैं और पहले 9 महीनों में मात्र 50 लाभार्थियों को ही कुल 1.43 करोड़ रू का लाभ मिला है। इस धनराशि तथा लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाये जाने की जरूरत है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को मिलने वाले संस्थागत ऋण में बढोत्तरी हो सके और वह अपना रोजगार आरम्भ कर सकें।

राज्य में अल्पसंख्यकों की स्थिति और कोविड महामारी से उभरे आर्थिक संकट को देखते हुए हमारा सुझाव है कि;

- ❖ अल्पसंख्यक विभाग का बजट राज्य के कुल बजट का मात्र 0.1 प्रतिशत से भी कम है और पिछले कई वर्षों से इसी स्तर पर बना है, इसमें बढ़ोत्तरी की जाए।
- ❖ अल्पसंख्यकों के विकास हेतु राज्य में संचालित 15 सूत्री कार्यक्रमों के परिणामों की निगरानी की व्यवस्था कमज़ोर है। 20 सूत्री कार्यक्रम की तरह इस कार्यक्रम के निगरानी हेतु व्यवस्थित तंत्र स्थापित किया जाये।
- ❖ अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों को सुधार कर मजबूत किया जाये। अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को भी मिल सके, इसके लिये पर्याप्त उपाय किये जाने चाहिये।
- ❖ मदरसों की स्थितियों में सुधार कर उन्हें आधुनिक किया जाये। मदरसों में गुणवत्ता–पूर्ण शिक्षा की भारी कमी है सरकार द्वारा मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बढ़ाए जाने के प्रयास किये जाने चाहिए।

मदरसों में अध्यापकों की कमी है और उनको मिलने वाला वेतन बहुत कम है, योग्य– मदरसा शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति की जाये।

- ❖ इसके अलावा मदरसों में आधारभूत संरचनाओं की भी भारी कमी है, मदरसों में शौचालयों की स्थिति बड़ी चिंताजनक है इसका सीधा प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है।
- ❖ मदरसा–विद्यालयों की अकादमिक सहायता एवं निगरानी की प्रकिया बनाई जाये।
- ❖ सरकार द्वारा चलायी जा रही अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृति योजना के अंतर्गत छात्र सीमा को हटा कर सभी अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृति का लाभ दिया जाना चाहिये।
- ❖ अल्पसंख्यक छात्रों को कोचिंग हेतु छात्रवृत्ति आदि योजनाओं का व्यवस्थित क्रियांवयन नहीं होने के परिणामस्वरुप समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। अल्पसंख्यक छात्रों के फ्री–कोचिंग के लिए सरकार द्वारा राज्य की अच्छे कोचिंग संस्थाओं की एक सूची तैयार की जाये और फिर उसमें अल्पसंख्यक छात्रों को दाखिले दिलवाए जायें। फ्री–कोचिंग के लिए जो सुविधा एस.सी. तथा एस.टी. के छात्रों को दी जाती है वही सुविधा अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाये।
- ❖ राज्य में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु व्यवस्थित नीति के अभाव में उर्दू शिक्षकों की भारी कमी के कारण इस विषय के अध्ययन से छात्र वंचित हो रहे हैं। अतः राज्य के विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों को तथा अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित विभागों में समस्त रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए ताकि कार्यक्रमों और योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके।
- ❖ केंद्र सरकार की घुमंतू सूची में कलंदर, मीरासी, फकीर जातियां भी घुमंतू जाति में आती हैं। लेकिन राजस्थान सरकार की घुमंतू जाति की सूची में इनका नाम नहीं है। सरकार द्वारा इन जातियों को भी घुमंतू जाति की सूची में जोड़ा जाये। जिससे की घुमंतू जाति के वंचित लोग सरकार द्वारा चालायी जा रही योजनाओं का लाभ उठा सकें ।
- ❖ राज्य में अल्पसंख्यक वित्त एवं सहकारी निगम जो अल्पसंख्यकों को स्वरोज़गार के लिये सहायता प्रदान करता है, के लाभार्थियों की संख्या पहले से ही बहुत कम है, जो करोना के पहले वर्ष (2020–21) में घटकर मात्र 50 रह गई है। निगम को स्वरोज़गार करने वाले अल्पसंख्यक/मुस्लिम लोगों तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास करने चाहिये।
- ❖ साम्प्रदायिकता का बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने है। आजकल खासकर मुस्लिम समुदाय के प्रति साम्प्रदायिकता का माहौल बना हुआ है। इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि समाज में अमन व शांति बनी रहे।